

Papers Laid On The Table of the House by Ministers/Members.

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

आइटम नम्बर - 2, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon.

Speaker Sir, with your kind permission, I rise to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the India International Arbitration Centre, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the India International Arbitration Centre, New Delhi, for the year 2022-2023.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2363/18/25]

12.03 hrs

(Shrimati Sandhya Ray *in the Chair*)

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव) : सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2364/18/25]

(3) (एक) भारतीय पाश्चर संस्थान, कुन्नूर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय पाश्चर संस्थान, कुन्नूर के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2365/18/25]

(5) (एक) जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (जेआईपीएमईआर), पुडुचेरी के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (जेआईपीएमईआर), पुडुचेरी

के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2366/18/25]

- (7) (एक) राष्ट्रीय सोवा-रिग्पा संस्थान, लेह के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
(दो) राष्ट्रीय सोवा-रिग्पा संस्थान, लेह के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2367/18/25]

- (9) (एक) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
(दो) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2368/18/25]

- (11) (एक) केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2369/18/25]

- (13) (एक) अखिल भारतीय वाक् और श्रवण संस्थान, मैसूरु के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) अखिल भारतीय वाक् और श्रवण संस्थान, मैसूरु के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2370/18/25]

- (15) (एक) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान एवं कस्तूरबा अस्पताल, वर्धा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान एवं कस्तूरबा अस्पताल, वर्धा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान एवं कस्तूरबा अस्पताल, वर्धा के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2371/18/25]

(17) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2372/18/25]

(19) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(क) (एक) एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेज लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा ।

- (दो) एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेज लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।
- (ख) (एक) एचएलएल बायोटेक लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) एचएलएल बायोटेक लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।
- (ग) (एक) एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2373/18/25]

- (21) राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 56 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : -
- (एक) राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग (स्नातक-पूर्व यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, मूल्यांकन और रेटिंग) संशोधन विनियम, 2024 जो दिनांक 27 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में

अधिसूचना फा.सं. बीयूएसएस/एमईएस (यूनानी-यूजी-विनियम)/2023 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग (स्नातक-पूर्व आयुर्वेद महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, मूल्यांकन और रेटिंग) संशोधन विनियम, 2024 जो दिनांक 27 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना फा.सं. बीओए/2-सी/2024 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग (स्नातक-पूर्व सिद्ध महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, मूल्यांकन और रेटिंग) संशोधन विनियम, 2024 जो दिनांक 27 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना फा.सं. 18-12/2021-बीयूएसएस (एसआईडी-यूजी-एमईएस) में प्रकाशित हुए थे ।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2374/18/25]

(23) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत ओषधि (पहला संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 13 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.28(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(24) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 33-ण तथा धारा 16 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ.5285(अ) जो दिनांक 9 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके

द्वारा उक्त अधिनियम की, उसमें उल्लिखित, पहली और दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2375/18/25]

(25) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 56 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : -

(एक) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम ? होम्योपैथिक चिकित्सा और शल्य चिकित्सा स्नातक (बीएचएमएस) संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 6 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना फा.सं. 3-34/2023/एनसीएच/एचईबी/सीसी/भाग-एक में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम ? होम्योपैथी में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 14 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. 3-42/2024/एनसीएच/ एचईबी/पीजी विनियम भाग-एक में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 2376/18/25]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL):

Madam Chairperson, with your permission, I rise to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Hajipur, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Hajipur, for the year 2023-2024.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2377/18/25]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi, for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi, for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi, for the year 2023-2024.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 2378/18/25]

- (5) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited, New Delhi, for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited, New Delhi, for the year 2023-2024.
- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 2379/18/25]

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Krishak Bharati Cooperative Limited, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Krishak Bharati Cooperative Limited, New Delhi, for the year 2023-2024.
- (8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 2380/18/25]

- (9) A copy of the Drugs Amendment Rules, 2025 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.127(E) in Gazette of India dated 11th February, 2025 under Section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940.

[Placed in Library, See No. LT 2381/18/25]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी शोभा कारान्दलाजे): सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

- (1) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र कानपुर, कानपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र कानपुर, कानपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2382/18/25]

- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) ओमनीबस इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली लिमिटेड, दमन के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।
- (दो) ओमनीबस इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली

लिमिटेड, दमन का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

[Placed in Library, See No. LT 2383/18/25]

(ख) (एक) अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, श्री विजयपुरम के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, श्री विजयपुरम का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

[Placed in Library, See No. LT 2384/18/25]

(ग) (एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2385/18/25]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (SHRI SHANTANU THAKUR): Madam, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 47 of the Indian Maritime University Act, 2008:-

- | | | |
|------|---|-----------|
| (i) | Notification | No. |
| | IMU/HQ/ADM/Notification/2024/02 | |
| | published in Gazette of India dated 05th December, 2024, making certain amendments in the ordinances, mentioned therein, relating to the Recruitment Rules of various posts of the Indian Maritime University, Act, 2008. | |
| (ii) | Notification | No. F.No. |
| | IMU/HQ/ADM/Notification/2024/02 | |
| | published in Gazette of India dated 17th December, 2024 notifying Terms and conditions for acceptance of Endowments and Donations, mentioned therein. | |

[Placed in Library, See No. LT 2386/18/25]

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (i) Review by the Government of the working of the Sethusamudram Corporation Limited, Chennai, for the year 2023-2024.
- (ii) Annual Report of the Sethusamudram Corporation Limited, Chennai, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts

and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

- (3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 2387/18/25]

- (4) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Chennai Port Authority, Chennai, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Chennai Port Authority, Chennai, for the year 2023-2024.
- (5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

[Placed in Library, See No. LT 2388/18/25]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SURESH GOPI): Hon. Chairperson, with your permission, I rise to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Petroleum and Energy, Visakhapatnam, for the year 2023-2024.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of

Petroleum and Energy, Visakhapatnam, for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.

(iii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Petroleum and Energy, Visakhapatnam, for the year 2023-2024.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2389/18/25]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा) : सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.5449(अ) जो दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-752 के डिजाइन कि.मी. 0.00 से कि.मी. 64.936 (वर्तमान कि.मी. 0.000 से कि.मी. 64.936) तक जहीराबाद-लातूर खंड की 2/4 लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(दो) का.आ.5450(अ) जो दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में एनएच-319 (पुराना एनएच-30) के डिजाइन कि.मी. 54.530 से कि.मी. 115.242 तक परारिया-मोहनिया खंड की चार और उससे

अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

- (तीन) का.आ.5511(अ) जो दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में एनएच-22 (नया एनएच-05) के डिजाइन कि.मी. 67.000 से कि.मी. 127.640 तक परवाणू-सोलन-कैथलीघाट एनएच खंड की 2/4 लेन खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।
- (चार) का.आ.5516(अ) जो दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में एनएच-844 के डिजाइन चेनेज कि.मी. 0.000 से कि.मी. 47.000 तक नेरलुलुरु से इचनाहल्ली खंड और एनएच-844 के डिजाइन चेनेज कि.मी.47.000 से कि.मी. 94.460 तक इचनाहल्ली से धर्मपुरी खंड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।
- (पांच) का.आ.5640(अ) जो दिनांक 30 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में एनएच-45सी (नया सं.36) के डिजाइन कि.मी. 116.440 से कि.मी. 164.275 (वर्तमान कि.मी. 111.000 से कि.मी. 164.615) तक चोलपौरम-तंजावुर खंड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

- (छह) का.आ.5641(अ) जो दिनांक 30 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच संख्या 29 के डिजाइन कि.मी. 149.540 से कि.मी. 215.160 (वर्तमान कि.मी. 148.00 से 208.300) तक वाराणसी से गोरखपुर खंड के चार और अधिक लेन वाले खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।
- (सात) का.आ.116(अ) जो दिनांक 7 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में एनएच-173 के कि.मी.24.600 से कि.मी.70.063 (डिजाइन चेनेज) तक मुदिगेरे-कदुर खंड के 2/4 लेन खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।
- (आठ) का.आ.117(अ) जो दिनांक 7 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में एनएच सं. 47 के कि.मी.95.000 से कि.मी.142.445 तक नानासा से पिडगांव खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।
- (नौ) का.आ.142(अ) जो दिनांक 8 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच संख्या 24बी पर कि.मी. 82.700 से कि.मी. 188.600 (डिजाइन चेनेज 0.700 से कि.मी. 106.517) तक रायबरेली-इलाहाबाद तक के खंड के लिए 09.01.2025 से 28.02.2025 तक प्रयोक्ता शुल्क संग्रह के अस्थायी निलंबन के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

- (दस) का.आ.152(अ) जो दिनांक 9 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच संख्या 752 आई के डिजाइन कि.मी. 48.000 से कि.मी. 70.430 (वर्तमान कि.मी. 95.230 से कि.मी. 117.840) तक शिरोड-शाहपुर-बसमत खंड की 2/4 लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।
- (ग्यारह) का.आ.153(अ) जो दिनांक 9 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच संख्या 63 के डिजाइन कि.मी. 24.030 से कि.मी. 62.000 (वर्तमान कि.मी. 24.080 से कि.मी. 62.200) तक अस्थामोड़-तिवतयाल खंड की पेव्ड शॉल्डर खंड वाली दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।
- (बारह) का.आ.154(अ) जो दिनांक 9 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में एनएच संख्या 52 (पुराना एनएच-3) के डिजाइन कि.मी. 577.550 से कि.मी. 610.000 और कि.मी. 00.000 से कि.मी.12.600 तक इंदौर से देवास खंड की चार और उससे अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।
- (तेरह) का.आ.293(अ) जो दिनांक 15 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में एनएच-224/नए एनएच-57 पर कि.मी. 50.000 से कि.मी. 140.900 (वर्तमान कि.मी. 50.00 से कि.मी. 140.900) तक डिजाइन चेनेज से बलांगीर-खुर्दा खंड के पेव्ड

शॉल्डर के साथ दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(चौदह) का.आ.447(अ) जो दिनांक 24 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में एनएच-152डी के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 227.020 (इस्माइलाबाद (गंगेरी) पर कि.मी. 0.000 से शुरू होकर नारनौल बाईपास पर कि.मी. 227.020 पर समाप्त) (लंबाई 227.020 कि.मी.) तक के खंड के उपयोग के लिए दिनांक 24 जून, 2022 की संशोधन शुल्क अधिसूचना का.आ. 2892(अ) के प्रकाशन के बारे में है ।

(पंद्रह) का.आ.448(अ) जो दिनांक 24 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-92 (नया एनएच-234) के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 57.346 (वर्तमान कि.मी. 0.433 से कि.मी. 57.588) तक बेवर गांव से इटावा खंड की पेव्ड शॉल्डर वाली 2 लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(सोलह) का.आ.493(अ) जो दिनांक 27 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में एनएच-54 (नया) के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 27.400 तक जोधपुर रोमाना-मंडी डबवाली खंड के चार या अधिक लेन वाले खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(सत्रह) का.आ.520(अ) जो दिनांक 29 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-28 के गोरखपुर

बाईपास के कि.मी. 279.800 से कि.मी. 360.915 (नया चेनेज: कि.मी. 285.002 से 366.117) तक एनएच-28 के गोरखपुर-कसिया-यूपी/बिहार सीमा खंड की चार लेन की परियोजना और कि.मी. 251.700 से कि.मी. 279.800 (नया चेनेज: कि.मी. 252.860 से 285.215) तक बीओटी वार्षिकी पहुंच के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

[Placed in Library, See No. LT
2391/18/25]

- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2392/18/25]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SANJAY SETH): Madam, with your kind permission, I rise to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Manohar Parrikar

Institute for Defence Studies and Analysis,
New Delhi, for the year 2023-2024,
alongwith Audited Accounts.

- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analysis, New Delhi, for the year 2023-2024.

- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2393/18/25]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Air Power Studies, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Air Power Studies, New Delhi, for the year 2023-2024.

- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 2394/18/25]

- (5) A copy of the Notification No. S.R.O.71 (Hindi and English versions) published in weekly Gazette of India dated 21st December, 2024 declaring that the Service or duty in the Union Territory of

Andaman and Nicobar Islands shall be the active service within the meaning and purpose for the Navy Act 1957 for a period of 5 years, with effect from 13th day of January, 2025 issued under sub-section (1) of Section 184 of the said Act.

[Placed in Library, See No. LT 2395/18/25]

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू) : सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (क) (एक) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
(दो) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।
 - (ख) (एक) गुजरात मेट्रो रेल लिमिटेड, गांधीनगर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
(दो) गुजरात मेट्रो रेल लिमिटेड, गांधीनगर का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2396/18/25]

- (3) (एक) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2397/18/25]

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोले) : सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2398/18/25]

12.05 hrs